

FORM-1
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District collector, Kondagaon

No: 701

Date- /11/2019

4/12/2019

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the ministry of Environment and forest(MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5TH February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that 14.772 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G.(name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in Kondagaon District fall in within jurisdiction of Kondagaon District i.e. Keskai and Farasgaon Block.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire 14.772 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(Not Applicable)**
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it; **(Not Applicable)**
- (c) The proposal does not involve recognize rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (A Part of Digital India).


Collector
District-Kondagaon (C.G.)




कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) जिला कोण्डागांव(छ0ग0)

क्रमांक 639/कले0/भू0अभि0शा0 /2019

कोण्डागांव, दिनांक 11/11/2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय :- भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारत नेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला क्षेत्र के केशकाल वनमंडल अन्तर्गत फरसगांव एवं केशकाल ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फयबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने मार्ग मे प्रभावित राजस्व वन भूमि 1.586 हे0 का अनापत्ति प्रमाण पत्र"CEO छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध ।

---00---

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स, स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर (छ.ग.) द्वारा "भारत नेट प्रोजेक्ट" के तहत केशकाल वनमंडल अन्तर्गत फरसगांव एवं केशकाल ब्लॉक अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर आष्टिकल फइबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है:-

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)

स.क्र.	तहसील	ग्राम	कक्ष क्र./खसरा नंबर	प्रभावित क्षेत्र की रकबा (हे0)	मद (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल)	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7
1	केशकाल	सालेभाट	137/1	0.030	बड़े झाड़ के जंगल	
2	केशकाल	जामगांव	106/1	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
3	केशकाल	जामगांव	140/1	0.006	बड़े झाड़ के जंगल	
4	केशकाल	निराछिन्दली	2/1	0.012		
5	केशकाल	अड़ेंगा	124	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
6	केशकाल	अड़ेंगा	142/1	0.007		
7	केशकाल	व्यालपुर	12/1	0.004		
8	केशकाल	कोदोभाट	8/19,9/1,10/2,59/2	0.011		
9	केशकाल	कोदोभाट	8/19,9/1,10/2,59/2	0.011		
10	केशकाल	कोहकामेटा	57/9	0.033	बड़े झाड़ के जंगल	
11	केशकाल	सिदावण्ड	33/1	0.009		
12	केशकाल	सिदावण्ड	33/1	0.001		
13	केशकाल	सिदावण्ड	37/4	0.008		
14	केशकाल	प्रधानचैरा	35/1	0.019	छोटे झाड़ के जंगल	
15	केशकाल	प्रधानचैरा	35/1	0.019		

क्रमशः 02

24

16	केशकाल	बटराली	3/1	0.002	बड़े झाड़ के जंगल	
17	केशकाल	बटराली	3/1	0.001		
18	केशकाल	सिंगनपुर	260	0.040		
19	केशकाल	सिंगनपुर	260	0.097		
20	केशकाल	नारना	18	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
21	केशकाल	उदरी	21/1	0.006		
22	केशकाल	उदरी	4/2	0.027	बड़े झाड़ के जंगल	
23	केशकाल	उदरी	4/2	0.010		
24	केशकाल	उदरी	4/3	0.012		
25	केशकाल	सिंगनपुर	260	0.015		
26	केशकाल	सालेभाट	1/2	0.004		
27	केशकाल	सालेभाट	2/15	0.016		
28	केशकाल	सिकागांव	2/2,96/7	0.020		
29	केशकाल	बेड़मा	30/7	0.018		
30	केशकाल	बेड़मा	93/70	0.001		
31	केशकाल	पीपरा	42/1	0.026		
32	केशकाल	अरण्डी	193/1	0.002		
33	केशकाल	बनियागांव	110/1	0.018		
34	केशकाल	बनियागांव	110/19	0.018		
35	केशकाल	खेतरपाल	38/9	0.021		
36	केशकाल	खेतरपाल	38/9	0.005		
37	केशकाल	सिलाटी	80	0.001		
38	केशकाल	सिलाटी	80	0.001		
39	केशकाल	बनियागांव	72/2	0.008	छोटे झाड़ के जंगल	
40	केशकाल	धनोरा	298/1	0.019	बड़े झाड़ के जंगल	
41	केशकाल	करारमेटा	68/1	0.024		
42	केशकाल	बड़ेखौली	98/16	0.015		
43	केशकाल	तोड़ासी	2/10,2/11	0.027		
44	केशकाल	तोड़ासी	109/26	0.045		
45	केशकाल	पीपरा	310/13	0.021		
46	केशकाल	पीपरा	326/1	0.010	छोटे झाड़ के जंगल	
47	केशकाल	पीपरा	326/1	0.028		
48	केशकाल	पीपरा	316	0.003		
49	केशकाल	पीपरा	152/12	0.014		
50	केशकाल	पीपरा	152/16	0.014		
51	केशकाल	पीपरा	234/1	0.019		
52	केशकाल	चारभाटा	69/1	0.008		
53	केशकाल	चारभाटा	91/16	0.014	बड़े झाड़ के जंगल	
54	केशकाल	मस्सूकोकोड़ा	74	0.019		
55	केशकाल	मस्सूकोकोड़ा	74	0.001		
56	केशकाल	मस्सूकोकोड़ा	74	0.020		
57	केशकाल	नवागढ़	22/1	0.006	छोटे झाड़ के जंगल	
58	केशकाल	नवागढ़	7/2	0.008	बड़े झाड़ के जंगल	

24

59	केशकाल	नयानार	1/1	0.013	बड़े झाड़ के जंगल	
60	केशकाल	नयानार	1/10	0.074		
61	केशकाल	नयानार	44/1	0.007		
62	केशकाल	नयानार	1/14	0.017		
63	फरसगांव	अरण्डी	205	0.012	छोटे झाड़ के जंगल	
64	फरसगांव	अरण्डी	199/2	0.001		
65	फरसगांव	अरण्डी	356/1	0.011	बड़े झाड़ के जंगल	
66	फरसगांव	अरण्डी	356/1	0.072		
67	फरसगांव	अरण्डी	356/1	0.062		
68	फरसगांव	अरण्डी	50/1	0.017		
69	फरसगांव	अरण्डी	50/1	0.022		
70	फरसगांव	करमेटा	1/1	0.025	छोटे झाड़ के जंगल	
71	फरसगांव	आमगांव	49	0.003	बड़े झाड़ के जंगल	
72	फरसगांव	आमगांव	49	0.004		
73	फरसगांव	आमगांव	3/30	0.008		
74	फरसगांव	बारदा	44/7	0.005	छोटे झाड़ के जंगल	
75	फरसगांव	उरान्दाबेड़ा	67	0.007	बड़े झाड़ के जंगल	
76	फरसगांव	आमगांव	3/28	0.004		
77	फरसगांव	कुलनार	1/14	0.015		
78	फरसगांव	बड़े ओड़ागांव	2/6	0.042		
79	फरसगांव	बड़े ओड़ागांव	2/6	0.004		
80	फरसगांव	हाटचपई	1/32	0.037		
81	फरसगांव	बनचपई	118/10	0.031		
82	फरसगांव	बनचपई	118/7	0.009		
83	फरसगांव	बड़ेडोंगर	320	0.004		
84	फरसगांव	बड़ेडोंगर	461/1	0.007		
85	फरसगांव	बड़ेडोंगर	461/1	0.007		
86	फरसगांव	भूमका	107/4	0.024		
87	फरसगांव	लंजोड़ा	205/6	0.006	छोटे झाड़ के जंगल	
88	फरसगांव	चांदागांव	65/25, 65/23	0.021	बड़े झाड़ के जंगल	
89	फरसगांव	चांदागांव	65/25, 65/23	0.021		
90	फरसगांव	जुगदई	37/1	0.007	छोटे झाड़ के जंगल	
91	फरसगांव	जुगदई	37/1	0.007		
92	फरसगांव	चिचाड़ी	1/1	0.036	बड़े झाड़ के जंगल	
93	फरसगांव	मांझीआटगांव	1/15	0.026		
94	फरसगांव	पतोड़ा	63/1	0.003	छोटे झाड़ के जंगल	
95	फरसगांव	पतोड़ा	63/1	0.022		
96	फरसगांव	आलोर	19/1, 30/27, 45, 107	0.028	बड़े झाड़ के जंगल	
कुल			96	1.586		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संबंधित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती तो राजस्व विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।



कलेक्टर

जिला कोण्डागांव (छ0ग0)